फीस वसूली पर सरकार का शिकंजा कॉलेजों को बताना होगा पाई-पाई का हिसाब

◆ प्रवेश से परीक्षा तक छात्रावास में रहने की शर्त नहीं थोप सकेंगे निजी कॉलेज

सवेरा न्यूज

शिमला 16 नवम्बर : निजी महाविद्यालयों में फीस के नाम पर विद्यार्थियों और अभिभावकों की जेब पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ को लेकर प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाई है। अब निजी और संबद्ध महाविद्यालय न तो निर्धारित शुल्क से एक रुपया भी अधिक वसूल सकेंगे और न ही विद्यार्थियों को छात्रावास में रहने के लिए बाध्य कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फीस वसूली में मनमानी और छात्रावास के नाम पर अनिवार्य भुगतान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा।

स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मधु चौधरी ने 16 नवंबर को अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान

वेबसाइट पर फीस सार्वजनिक करना अनिवार्य; 18 नवंबर तक मांगी अनुपालन रिपोर्ट

विश्वविद्यालय (एएमआरयू), मंडी के कुलपति को पत्र जारी कर सभी संबद्ध महाविद्यालयों में सरकारी शुल्क संरचना का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के संज्ञान में आया था कि कुछ संस्थान निर्धारित दरों से अधिक फीस वसूलने के साथ विद्यार्थियों पर छात्रावास शुल्क का भुगतान भी अनिवार्य कर रहे हैं।

नए निर्देशों के तहत अब कॉलेजों को अपनी वेबसाइट पर पाठ्यक्रमवार और संकायवार स्वीकृत फीस के साथ अन्य देय शुल्क का पूरा ब्योरा प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी यह जानकारी उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, सीट आवंटित होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ई-मेल, व्हाट्सऐप और पंजीकृत डाक के माध्यम से फीस का पूरा विवरण भेजना अनिवार्य होगा।

सरकार ने छात्रावास को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। छात्रावास में रहना पूरी तरह विद्यार्थी की इच्छा पर निर्भर करेगा। प्रवेश, पढ़ाई जारी रखने या परीक्षा में बैठने के लिए छात्रावास में रहना किसी भी विद्यार्थी की अनिवार्य शर्त नहीं बनाया जा सकेगा। केवल स्वेच्छा से छात्रावास की सुविधा लेने वाले विद्यार्थियों से ही निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1100

विश्वविद्यालय को अतिरिक्त और अनधिकृत फीस वसूली की शिकायतों के लिए अलग ई-मेल और दूरभाष नंबर स्थापित करने तथा समयबद्ध निपटारे की व्यवस्था करने को कहा गया है। विद्यार्थी और अभिभावक मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। विश्वविद्यालय को 18 नवंबर तक सरकार को अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी। निर्देशों की अवहेलना करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एचपी टीईटी के एडमिट कार्ड 18 से होंगे डाउनलोड

22 नवंबर से शुरू होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, पहले दिन टीजीटी आर्ट्स और जेबीटी का पेपर

सवेरा ब्यूरो

शिमला, 16 नवंबरः हिमाचल प्रदेश में शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करने के लिए परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नवंबर सत्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचपी टीईटी) के एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले जारी करेगा। ऐसे में 22 नवंबर को होने वाली पहली परीक्षाओं के अभ्यर्थी 18 नवंबर से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार एचपी टीईटी की परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर तक चलेंगी। पहले दिन सुबह के सत्र में टीजीटी आर्ट्स और दोपहर के सत्र में जेबीटी की परीक्षा होगी। इसके बाद 29 नवंबर और 6 दिसंबर को अलग-अलग विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org से डाउनलोड करने होंगे। परीक्षा केंद्र, रोल नंबर और परीक्षा से संबंधित निर्देशों की जानकारी एडमिट कार्ड में मिलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ मान्य पहचान पत्र भी ले जाना होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत जंगल
विकास खंड सुजानपुर टीहरा जिला हमीरपुर (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत जंगल कुटेशन लेने बारे

ग्राम पंचायत जंगल ने निम्न कुटेशन के बारे चर्चा की गई और कुटेशन दिनांक 22/11/2026 तक ग्राम पंचायत कार्यलय में पंहुच जानी चाहिए यह कुटेशन दिनांक 23/11/2026 को कमेटी के समक्ष खोली जाएगी और वस्तु का विवरण निम्न है

Providing and fixing aluminium cupboard with heavy-duty aluminium frame (1.5 mm thick), aluminium shutters with suitable panels, shelves (1.2 mm thick), powder-coated finish, good quality hinges, handles and locking system, complete in all respects. Measurement shall be based on front face area (Width x Height)inSq.Ft. 2चौखट, दरवाजा, खिड़की PRESSHEET STEEL/IRON @ PER KG / PER FEET यह प्रस्ताव सहायक आयुक्त (विकास) एवम खण्ड विकास अधिकारी सुजानपुर की सेवा में प्रेषित है

प्रधान/सचिव
ग्राम पंचायत जंगल

विधानसभा सत्र शुरू होते ही उमड़ी फरियादियों की भीड़, छह दिन तक रहेगी रौनक

सत्ता के केंद्र में पहुंचे निचले हिमाचल के लोग, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों के समक्ष रखीं समस्याएं

सवेरा न्यूज/जसवंत कठियाल

तपोवन, 15 नवंबर : हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा का तेरहवां शीतकालीन सत्र सोमवार से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो गया। छह दिन तक चलने वाले इस सत्र के दौरान प्रदेश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने के आसार हैं। विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री का जिला प्रशासन, स्थानीय मंत्रियों और विधायकों ने स्वागत किया। विधानसभा सत्र शुरू होते ही तपोवन में फरियादियों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। सरकार के एक छत के नीचे एकत्रित होने का लाभ उठाने के लिए निचले हिमाचल के दूरदराज क्षेत्रों से लोग



सीएम के स्वागत को खड़े जिला के मंत्री विधायक और जिला प्रशासन।

अपनी समस्याएं लेकर यहां पहुंच रहे हैं। पहले ही दिन कई फरियादियों ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के मंत्रियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखकर उनके समाधान की गुहार लगाई।

लोगों को उम्मीद है कि सरकार के मुखिया और विभागीय मंत्रियों से सीधे मुलाकात कर उनकी लंबित समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ऐसे में आगामी पांच दिनों तक तपोवन में फरियादियों की आवाजाही और भीड़ बढ़ने की संभावना है। उधर, विधानसभा सत्र का असर पर्यटन कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है।

धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा और चामुंडा देवी क्षेत्र के होटल, रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में अगले छह दिनों तक व्यस्तता रहने की उम्मीद है। विधानसभा सत्र के चलते जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों की आवाजाही से क्षेत्र के पर्यटन एवं होटल कारोबार को भी गति मिलेगी।

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर-23, शांत टावर, तीसरी मंजिल, नई रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

अधोलिखित कर्जदार(रों) आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा(ओं) का ब्याज और प्रिंसीपल की पुनः अदायगी करने में डिफाल्ट हो चुका है/चुके हैं। ऋण (रों) नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) वर्गीकृत हो गए हैं।

उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समैंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के सैक्शन 13(2) के अधीन उनको एक नोटिस निर्गमित किया गया था। यद्यपि इस की तामील नहीं हुई थी और इसलिए इस सार्वजनिक सूचना की विधि से अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम/(ऋण खाता संख्या) और पता	लागू की जाने वाली सुरक्षित संपत्ति का विवरण	नोटिस भेजे जाने की तिथि/नोटिस की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1.	पैराडीट स्विरिट्स प्राइवेट लिमिटेड, उदयवीर सिंह, जसविन्दर कौर, प्लॉट नंबर 97, इंडस्ट्रियल एरिया, लोधीमाजरा, बद्दी, सोलन, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205 ,A/c No.TBCHD00006977859	प्लॉट नंबर 97, माप 2000 Sq. Mtrs. का, इंडस्ट्रियल एरिया, लोधी माजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश- 173205 में है।	19/10/2026 रु. 14,12,004.72/-	17/09/2026
2.	पैराडीट स्विरिट्स प्राइवेट लिमिटेड, उदयवीर सिंह, जसविन्दर कौर, प्लॉट नंबर 97, इंडस्ट्रियल एरिया, लोधीमाजरा, बद्दी, सोलन, सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173205 ,A/c No.TBCHD00006528009	प्लॉट नंबर 97, माप 2000 Sq. Mtrs. का, इंडस्ट्रियल एरिया, लोधी माजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश- 173205 में है।	19/10/2026 रु. 53,63,488.15/-	17/09/2026
3.	पैराडीट स्विरिट्स प्राइवेट लिमिटेड, उदयवीर सिंह, जसविन्दर कौर, प्लॉट नंबर 97, इंडस्ट्रियल एरिया, लोधीमाजरा, बद्दी, सोलन, सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173205 ,A/c No.TBCHD00006528008	प्लॉट नंबर 97, माप 2000 Sq. Mtrs. का, इंडस्ट्रियल एरिया, लोधी माजरा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश- 173205 में है।	19/10/2026 रु. 35,96,290.72/-	17/09/2026

नोटिस की वैकल्पिक तामील के लिए ये पग उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/(रों) तथा/अथवा गारंटर/(रों)(जहां लागू) इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया अदायगियां करने का परामर्श है, अन्यथा आगामी पग सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समैंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 की धाराओं के अनुसार उठाए जाएंगे।

दिनांक: 17 नवंबर, 2026, स्थान : सोलन — निष्ठापूर्वक प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए।

बीबीएमबी के फैसले को लागू करवाने में सरकार की भूमिका अहम, हिमाचल को मिलेंगे 3000 करोड़ : सुक्खू

जसवंत सिंह कठियाल

◆ राजनीतिक इच्छाशक्ति से प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई को पहुंचाया अंजाम तक एधर्मशाला पहुंचने पर सीएम का जोरदार स्वागत

धर्मशाला 16 नवंबर : हिमाचल प्रदेश की संपदा और अधिकारों से जुड़े मामलों में प्रदेश सरकार ने राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ संघर्ष किया है। बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) से जुड़े करीब 15 साल पुराने फैसले को लागू करवाने की दिशा में सरकार की भूमिका अहम रही है। इस फैसले के लागू होने से हिमाचल प्रदेश को करीब 3000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को धर्मशाला पहुंचने पर मीडिया से बातचीत के दौरान कही। धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा और अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ लड़ाई लड़ी है। जब किसी सरकार की इच्छाशक्ति मजबूत होती है तो संघर्ष के परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने हरसंभव प्रयास किए हैं और अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है। सीएम सुक्खू ने बीबीएमबी से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह फैसला पिछले करीब 15 वर्षों से लंबित था। इसे लागू करवाने के लिए सरकार ने रणनीतिक तरीके से प्रयास किए। उन्होंने बताया कि किशाऊ बांध समझौते के दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार के सामने स्पष्ट शर्त रखी थी कि जब तक बीबीएमबी के मामले में आवश्यक एफिडेविट पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, तब तक समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, यदि उस समय इस शर्त को नहीं रखा जाता तो बीबीएमबी से जुड़े फैसले को लागू करवाने में अभी 20 साल और लग सकते थे।।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है। धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होने वाला यह सत्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार विधानसभा में प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला दिसंबर माह में पर्यटन गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे में विधानसभा सत्र की व्यवस्था इस तरह की गई है कि पर्यटन गतिविधियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कांगड़ा में होगी बड़ी कॉन्फ्रेंस, आगामी महीनों में कई कार्यक्रम : मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के विकास और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कांगड़ा में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना है। इसके लिए आवश्यक रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त अगले दो से तीन महीनों के दौरान कांगड़ा जिले में कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कांगड़ा जिले को विकास, पर्यटन और अन्य गतिविधियों के केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। आने वाले समय में प्रस्तावित कार्यक्रमों और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले को नई पहचान देने के साथ-साथ यहां की आर्थिक और पर्यटन संभावनाओं को भी मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा कार्यालय : एडीबी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (इसके बाद एक्ट कहा जाएगा) की धारा 13 (2) के तहत नोटिस

नीचे बताए गए सभी कर्जदार(रों) / गारंटर (रों) को बताया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी के अनुसार उनके द्वारा लिया गया होम लोन NPA बन गया है। SARFAESI एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत उन्हें कूरियर/रजिस्टर्ड A.D. पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेजे गए डिमांड नोटिस बिना डिलीवर हुए वापस आ गए हैं :-

कर्जदार(रों) / गारंटर (रों) का नाम	बंधक/ प्रापर्टी/एसेट्स का विवरण	एनपीए की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि	बकाया राशि
उधारकर्ता: श्री गुरदित सिंह पुत्र श्री मोहिदर सिंह, निवासी वीपीओ बद्दू साहिब वाया राजगढ़ पच्छद- 173101	कार महिन्द्रा XUV 3OO W8 O DS BS6 MT, पंजीकरण संख्या HP 17 F 7389, इंजन संख्या EULZG01890, चेसिस संख्या MA1NM2EU1L2G61957 का हाइपोथेकेशन श्री गुरदित सिंह पुत्र श्री मोहिदर सिंह के नाम पर।	06.05.2025	08.10.2026	07.10.2026 तक रु. 5,14,006/- (सिर्फ पाँच लाख चौदह हजार छह रुपये) देने हैं। आपको ऊपर बताई गई रकम पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भविष्य में ब्याज भी देना होगा, साथ ही कुछ आकस्मिक खर्चे, लागत, चार्ज वगैरह भी देने होंगे।

अब, सिक्योर्ड क्रेडिटर (बैंक) के ऑथराइज्ड ऑफिसर के तौर पर, इस पब्लिकेशन के जरिए, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002 के प्रोविजन के मुताबिक, आपसे कहा जाता है कि आप इस नोटिस के पब्लिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर, भविष्य के इंटरेस्ट और खर्चों/चार्ज के साथ बकाया लायबिलिटी अमाउंट चुका दें, ऐसा न करने पर सिक्योर्ड क्रेडिटर सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) और सरफेसी एक्ट के दूसरे लागू प्रोविजन के तहत बताए गए किसी भी या सभी अधिकारों का इस्तेमाल करेगा।

आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि सेक्शन 13 के सब-सेक्शन 13 के मुताबिक, आप बैंक की पहले से/लिखकर मंजूरी लिए बिना, इस नोटिस के शेड्यूल 'सी' में बताए गए सिक्योर्ड एसेट्स को सेल, लीज या किसी और तरह से ट्रांसफर नहीं करेंगे। यह नोटिस बैंक के कानून के किसी भी दूसरे लागू प्रोविजन के तहत जरूरी समझे जाने वाले दूसरे एक्शन या लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करने के अधिकार पर कोई असर नहीं डालता है।

दिनांक: 06.11.2026 — स्थान: पांवटा साहिब — प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

रीजनल ऑफिस, शिमला :- फर्स्ट फ्लोर, डोगरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (संकेत हाइट्स), एप्पल मंडी के पास, भट्ठाकुफर, संजौली, शिमला, हि.प्र. - 171006

ई-नीलामी बिक्री सूचना

डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए यहां स्कैन करें

ANNEXURE-E
चल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
[चल/अचल संपत्ति के लिए नियम 6(2) तथा 8(6) के साथ परिशिष्ट-II A]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल/अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) तथा 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

आम जनता और खास तौर पर कर्जदार(रों), मार्टगेजर(रों) और गारंटर(रों), को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताई गई चल/अचल प्रॉपर्टी/प्रॉपर्टीज जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास हाइपोथेकेटेड/मॉर्टगेज्ड/चार्ज्ड है, और जिनका कब्जा बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऑथराइज्ड ऑफिसर ने ले लिया है, उन्हें नीचे बताए गए अकाउंट/अकाउंट्स में बकाया रकम की रिकवरी के लिए "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" और "जहां है" बेसिस पर बेचा जाएगा। पहचाने गए किसी भी बकाया की लायबिलिटी खरीदार पर होगी, बैंकर पर नहीं। कर्जदार(रों), मार्टगेजर(रों) और गारंटर(रों), सिक्योर्ड एसेट/बकाया/रिजर्व प्राइस/ई-ऑक्शन की तारीख और समय, EMD और बिड बढ़ाने की रकम की डिटेल्स नीचे दी गई है :-

क्र. सं.	ब्रांच का नाम और कर्जदार(रों)/मार्टगेजर(रों)/गारंटर(रों) का पता	चल/अचल प्रॉपर्टी का विवरण, अगर कोई हो तो ज्ञात भार के साथ।	कुल बकाया	ई-ऑक्शन की तारीख और समय	रिजर्व प्राइस बयाना राशि बोली बढ़ाने की रकम	कब्जे का स्टेटस (कंस्ट्रक्टिव/फिजिकल)	प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन की तारीख और समय
1.	शाखा कार्यालय :- काला अंब उधारकर्ता(ओं) :- (1) मेसर्स क्रॉम्पटन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, एससीओ नंबर 11, द्वितीय तल, सेक्टर 11, पंचकूला हरियाणा - 134109। (2) श्री अनुराग गुप्ता, एफ-103, शालकी नगर, मेरठ लिर्म कॉलेज उत्तर प्रदेश (उधारकर्ता, निदेशक और गारंटर) (3) श्रीमती गगनदीप कौर पत्नी श्री गुरसेव सिंह (डायरेक्टर और गारंटर)	अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा यानी ग्राउंड फ्लोर पर रेजिडेंशियल फ्लैट, नंबर A-5/1, जिसका माप 64.24 स्क्वायर मीटर है, जागृति विहार एक्सटेंशन स्कीम नंबर 11 मेरठ, यूपी में स्थित है, जो श्री अनुराग गुप्ता पुत्र श्री लोकेश चंद्र गुप्ता के नाम पर है।	रु. 30,14,390.49 (मूलधन) + रु. 2, 12, 313.98 (बिना लगाया गया ब्याज) + रु. 71,729.56 (ब्याज वापसी) + रु. 16,985/- (पैनल ब्याज)। कुल बकाया - रु. 33,15,419.03 (रुपये तैंतीस लाख पंद्रह हजार चार सौ उन्नीस और सिर्फ तीन पैसे) 08.11.2026 तक + वसूली तक आगे का ब्याज और चार्ज।	07.12.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	रु. 20,25,000/- रु. 2,05,000/- रु. 50,000/-	भौतिक	18.11.2026 से 05.12.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (सिर्फ पहले से अपॉइंटमेंट लेकर)
2.	शाखा कार्यालय :- काला अंब कर्जदार(ओं) : श्रीमती दीपिका गोयल पत्नी श्री रवि गोयल। पता-1:- फ्लैट नंबर 502, टावर नंबर B-7, निर्मल छाया टावर, VIP रोड, जीरकपुर, SAS नगर (मोहाली), पंजाब 140603। पता-II:- SCF नंबर 54, सेक्टर 29-D, चंडीगढ़, 160030	गाड़ी का हाइपोथेकेशन : मेक : हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, मॉडल: ALCAZAR 2.0 AT प्लैटिनम (O) 6S; गाड़ी का टेम्परी रजिस्ट्रेशन नंबर: T1122HR9483BZ; इंजन नंबर: G4NLNW648923; चेसिस नंबर: MALPC815MNM616585; गाड़ी का रंग: पोलर व्हाइट 2; मैन्युफैक्चरिंग साल: 2022. नोट :- गाड़ी किसी भी RLA के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, कृपया ध्यान दें कि खरीदने वाला व्यक्ति संबंधित RLA/रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या किसी अन्य सक्षम अथॉरिटी के साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी लागू चार्ज, फीस, टैक्स और दूसरे खर्च, अगर कोई हो, उठाएगा और चुकाएगा। नोट :- GST अलग से लगेगा।	रु. 15,58,388/- (मूलधन) + रु. 4,04,297.35 (बिना लगाया गया ब्याज) + रु. 62,828.63 (ब्याज वापस) + रु. 1,21,289.00 (पैनल ब्याज)। कुल बकाया - रु. 21,46,802.98 (सिर्फ इक्कीस लाख छियालीस हजार आठ सौ दो और अट्ठानवे पैसे) 14.11.2026 तक + वसूली तक और ब्याज और चार्ज	07.12.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	रु. 7,50,000/- रु. 75,000/- रु. 15,000/-	भौतिक	18.11.2026 से 05.12.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (सिर्फ पहले से अपॉइंटमेंट लेकर)

संपर्क व्यक्ति और संपर्क नंबर:- डॉ. अमित गुप्ता, सीएम और अधिकृत अधिकारी, एम: 62832-85057, 98732-72801

EMD जमा करने की आखिरी तारीख : 06.12.2026
*ई-ऑक्शन शुरू होने की तारीख और समय : 07.12.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक - EMD भुगतान का तरीका : NEFT
बिक्री की डिटेल्ड शर्तों के लिए कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm पर दिए गए लिंक को भी देखें; https://Baanknet.com
इसे सरफैसी एक्ट 2002 के तहत कानूनी 15 दिन का सेल नोटिस माना जा सकता है

तारीख : 16.11.2026 — स्थान : काला अंब (हि.प्र.) — अधिकृत अधिकारी

रिज मैदान पर सजेगा ग्रामीण भारत, 10 राज्यों के उत्पाद होंगे प्रदर्शित

◆ नाबार्ड के दस दिवसीय महोत्सव में 40 स्टॉलों पर दिखेगी ग्रामीण हुनर और परंपरा की झलक, 28 नवंबर तक चलेगा आयोजन

सवेरा ब्यूरो

शिमला, 16 नवंबर : शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इस बार ग्रामीण भारत की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से 19 से 28 नवंबर तक पदमदेव परिसर में ग्रामीण भारत महोत्सव–हिमाचल प्रदेश 2026 आयोजित किया जाएगा। दस दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के 10 राज्यों के ग्रामीण कारीगर, बुनकर, किसान और स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों के साथ पहुंचेंगे। महोत्सव में कुल 40 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां लोगों को पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय खाद्य उत्पादों, ऊनी वस्त्रों और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े उत्पादों को देखने और सीधे खरीदने का अवसर मिलेगा।

महोत्सव का उद्घाटन 19 नवंबर को दोपहर 12 बजे नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. विवेक पठानिया करेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उत्पादकों को सीधे बाजार से जोड़ना और उनके उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाना है। इससे कारीगरों और उत्पादक समूहों को बिचौलियों पर निर्भरता कम करने, बेहतर मूल्य प्राप्त करने तथा ग्राहकों की पसंद और बाजार की मांग समझने का अवसर मिलेगा। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. विवेक पठानिया के अनुसार ग्रामीण भारत महोत्सव ग्रामीण उत्पादकों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर देता है। इससे उन्हें बेहतर मूल्य मिलने के साथ बाजार की मांग समझने और दूसरे राज्यों के कारीगरों से नई तकनीक व कार्यशैली सीखने का मौका भी मिलता है।

नौ अन्य राज्यों के उत्पाद भी बनेंगे आकर्षण

महोत्सव में हिमाचल के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के उत्पादक समूह भी अपने उत्पाद लेकर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के जीआई पहचान वाले लकड़ी के खिलौने, लखनवी चिकनकारी और बागपत के घरेलू वस्त्र, जम्मू-कश्मीर की बसोहली पश्मीना शॉल, स्टोल और मफलर लोगों को आकर्षित करेंगे। गुजरात की कच्छ कढ़ाई, अजरख छपाई और मनका कला, मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट पत्थर शिल्प और भैरवगढ़ बटिक छपाई, महाराष्ट्र की विदर्भ करवती रेशमी साड़ियां और टसर रेशम भी प्रदर्शित किए जाएंगे। राजस्थान के मेहंदी, गुलाब और फालसा उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, सूट-दुपट्टे और मोटे अनाज से बने उत्पाद, हरियाणा की पत्थर-चूर्ण चित्रकला, सुजनी रजाइयां और मिट्टी के शिल्प तथा उत्तराखंड के भीमल रेशे से बने उत्पाद, मूंज घास की टोकरियां और ऊनी वस्त्र भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे।

70 एकड़ जमीन तैयार, 1000 करोड़ का आयुर्वेद एम्स केंद्र की मंजूरी में उलझा

◆ प्रदेश सरकार ने 300 करोड़ का हिस्सा किया मंजूर, भूमि चयन पर अंतिम फैसला नहीं

सवेरा न्यूज/कुलदीप

शिमला, 16 नवम्बरः हिमाचल में आयुर्वेद को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने की महत्वाकांक्षी योजना को एक बार फिर झटका लगा है। हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के धनेटा में प्रस्तावित आयुर्वेद एम्स के लिए भूमि चयन पर केंद्र सरकार की अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। हाल ही में केंद्र के समक्ष हुई प्रस्तुति के बाद उम्मीद थी कि जमीन को लेकर फैसला हो जाएगा, लेकिन फिलहाल स्वीकृति नहीं मिलने से परियोजना का इंतजार बढ़ गया है। करीब एक हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार धनेटा में लगभग 70 एकड़ भूमि चिन्हित कर केंद्र को प्रस्ताव भेज चुकी है। राज्य सरकार अपने हिस्से के करीब 300 करोड़ रुपये भी स्वीकृत कर चुकी है। ऐसे में अब परियोजना की अगली राह केंद्र की मंजूरी पर निर्भर है। आयुर्वेद एम्स स्थापित होने से प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, अनुसंधान, औषधीय पौधों और वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हिमाचल की जड़ी-बूटियों को पहचान दिलाने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुल सकते हैं।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में आयुष क्षेत्र के लिए 379 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं, 14 आयुर्वेदिक अस्पतालों में पंचकर्म तकनीशियन का एक वर्षीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके माध्यम से करीब 250 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आयुष विभाग के निदेशक रोहित जम्वाल ने बताया कि आयुर्वेद एम्स को लेकर प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही भूमि के संबंध में केंद्र से स्वीकृति मिल जाएगी।

इश्तिहार

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं द्वितीय श्रेणी सहायक समाहर्ता उपतहसील मैहतपुर बसदेहड़ा जिला ऊना हि०प्र० विषय : प्रार्थना पत्र जेर Sec. 23 हि०प्र० मूल राजस्व अधिनियम 1954 के अंतर्गत नाम दुरुस्त करवाने।

बारे इश्तिहार

श्री राजन भारद्वाज पुत्र सत्या पाल भारद्वाज वासी बडैहर उप तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा जिला ऊना ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता नाम राजस्व रिकॉर्ड में सतपाल गलत दर्ज है। अतः उसके पिता का सही नाम सत्या पाल भारद्वाज दुरुस्त किया जाये। इस बारे आम जनता को अखबार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो वह अपना उज्र सब तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा जिला ऊना में दिनांक 01-12-2026 सहायक समाहर्ता के समक्